वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 15.10.2024

141 लोगों ने नहीं जमा किए 5.20 करोड़ शमन शुल्क, होगी कार्रवाई

वाराणसी। अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए लोग कंपाउंडिंग तो करा रहे हैं लेकिन शमन शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे 141 लोग चिह्नित किए गए हैं, जिन पर 5.20 करोड़ रुपये शमन शुल्क बकाया है। 15 दिनों के भीतर शमन शुल्क जमा नहीं करने वालों के अवैध निर्माण वीडीए ध्वस्त कराएगा।

शहर में अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ वीडीए की ओर से सीलिंग और ध्वस्तीकरण का अभियान चल रहा है। इससे बचने के लिए लोग वीडीए में आवेदन करते हैं। वीडीए से अपने अवैध निर्माण का कंपाउंडिंग कराते हैं। वीडीए की ओर से शमन शुल्क लगाया जाता है। कई अवैध निर्माण करने वाले शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों ने कंपाउंडिंग कराई है और शमन शुल्क जमा नहीं किया है। उन्हें मौका देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जोनल अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो